

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिगपल्स जज
न्यायालय 34402 श्रीमती कुमारी
श्रीमती कुमारी vs श्रीमती कुमारी
90-46/12

दिनांक - 28/3/17

14-2-17

प्रभावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित
पीठारीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौर
के पधारे हैं/अन्य कार्य के कारण वे अत
प्रभावली साक्षिक आदेश के दिनांक 28-3-17
को पेश हो

रीडर

सब डिविजन ऑफिसर

28/3/17

प्रभावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित
पीठारीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौर
के पधारे हैं/अन्य कार्य के कारण वे अत
प्रभावली साक्षिक आदेश के दिनांक 8-6-17
को पेश हो

रीडर

सब डिविजन ऑफिसर

6-6-17

प्रभावली काज राजद्वय लोक फदालत सिविल
मुकाम लामगिया में पेश हुई। उभयपक्ष
किन्तु प्रभावली का आवलोकन किया गया।
वादपत्र प्रस्तुतिकरण के बाद से ही प्रत्येक
कने विपक्षी का 2 के समान प्रोजेन
की स्टेज पर चली ग्या रही है किन्तु
पादी द्वारा फाव तक पुनः बरकर प्रस्तुत
मही बिये गये हैं बार बार स्मरण कराये
जाते के उपरान्त भी उनके द्वारा इस विषय
को गंभीरता से नहीं लिया जाया। ऐसी
दृष्टि में वादपत्र को एक ही स्टेज पर
निरन्तर चलाया जाना न्याय संगत नहीं है।
अतः वादी का वादपत्र वादी की ओर
अनुपालना अन्तर्गत धारा आदेश - 9
नियम - 5 CPC के तहत श्वारिज बिये
जाते के आदेश पारित किये जाते हैं
किन्तु उभय पक्ष की जाकर फदालत मुकाम